सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
आश्विन 9, गुरूवार, शाके 1942–अक्टूबर 1, 2020 *Asvina 9, Thursday, Saka 1942–October 1, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, जुलाई 29, 2020

संख्या एफ 1/ RTU/यूनियन बहाली/2020/ पार्ट-1/13947 :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/19/18931 दिनांक 16.7.2019 के द्वारा पंजीकृत व्यवसायिक संघो को व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "डी" में वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नही करने के कारण अधिनियम की धारा-10 के प्रावधानुसार उनके पंजीयन को निरस्त (रद्) कर दिया गया था।

उक्त आदेश के साथ संलग्न सूची मे क्रम संख्या 171, 821 में अंकित श्रम संघो द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्हे दिनांक 31.1.2019 एवं दिनांक 30.4.2019 को जारी किया गया कारण बताओ (शॉ-काज) नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा दिनांक 19.6.2019 को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की जानकारी भी नही हो पाई साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा आय व्यय विवरण पूर्व में समयानुसार भिजवाते रहे है एवम वे लगातार कार्यशील रहे है।

श्रम संघो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों एवं उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा दिनांक 22.07.2020 सुना गया। प्रार्थना पत्रों में दिये गये कारणों/स्पष्टीकरण से मै सन्तुष्ठ हूं। अतः मैं पंतजलि भू, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान, जयपुर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/19/18931 दिनांक 16.7.2019 मे संलग्न सूची में अंकित श्रम संघो के नाम उक्त आदेश से विलोपीत करने एवं निरस्त किये गये पंजीयन को बहाल करने का आदेश देता हूं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

<u>पंजीयन बहाल किये गये श्रम संघो का विवरण</u>

क्र. सं.	**श्रम संघ का नाम एवं पता**	**पंजीयन संख्या**	**आदेश दिनांक में अंकित क्रम संख्या**
1	पॉवर इन्जिनियर्स एसोसिऐशन ऑफ राजस्थान, मार्फत श्री हरिसिंह जाखड 3-ए, सिविल लाईन्स मैन रोड, राजभवन मार्ग (रामनगर चौराहे के पास) जयपुर।	आरटीयू/4/87	171

2	एयरपोर्ट टैक्सी कार चालक संघ, सिविल एयरपोर्ट के अन्दर प्रीपेड बूथ एयरपोर्ट, जौधपुर।	एआरटीयू/जेडीएच /14/88	821

पतंजलि भू,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन
अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)
राजस्थान जयपुर

Government Central Press, Jaipur.